FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** BILASPUR **Year(वर्ष):** 2022
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0003 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 12/07/2022 05:42 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	420
6	IPC 1860	477-A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** **Date From(दिनांक से):** **Date To(दिनांक तक):**
      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) **Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date(दिनांक):** 12/07/2022 **Time (समय):** 03:30 PM

   (c) **General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):** **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 014 **Time (समय):** 12/07/2022 04:51 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No(बीट सं.) :**

      (b) **Address(पता):**

      (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S(थाना का नाम): **District(State)(ज़िला(राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name(नाम):** yash Pal

   (b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष):** 02/11/1968 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

   (g) **Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

1	**Present Address**	VILLAGE-Bilaspur, PS-BILASPUR, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-Gonpur Bulla, PS:HAROLI, DISTRICT-UNA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल**

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address (वर्तमान पता)**	**Parmanent Address (स्थाई पता)**
1	Sanjay Verma	Father:Basant Ram	VILLAGE-Nihal PO Bamta,TEHSIL-Sadar ,PS-SADAR BILASPUR,DISTRICT-BILASPUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Nihal PO Bamta,TEHSIL-Sadar ,PS-SADAR BILASPUR,DISTRICT-BILASPUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (संपत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)**	**Nature Property (प्रकृति संपत्ति)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)**

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

इस समय एक Self contained complaint उप नि0 यशपाल, पुलिस थाना रा0 स0 एवं भ्र0 रो0 ब्यूरो बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0 प्र0 ने थाना में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए पेश किया जोकि उप पुलिस अधीक्षक को प्रेषित है जिसका विवरण निम्न है :- " सेवा में,उप पुलिस अधीक्षक महोदय, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)। विषय:- शिकायत पत्र संख्या 121719 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु Self contained complaint.श्रीमान जी, यह शिकायत पत्र मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के तहत इस थाना में प्राप्त हुआ था जिसकी प्रारम्भिक जाँच के बाद नियमित जांच की संस्तुति की गई जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से नियमित जाँच के आदेश प्राप्त हुए जिसकी जांच मन उप निरीक्षक के द्वारा अमल में लाई गई। शिकायत कर्ता यशपाल सिंह पुत्र श्री रंगीला राम निवासी गांव जांगली डा0 महारल तह0 ढटवाल(स्थित बिझडी) जिला हमीरपुर हि0 प्र0 मो0 नं0 88943-24834 ने निम्नलिखित आरोप लगाए हैं-1. श्री संजय वर्मा तत्कालीन सचिव ने विकास खण्ड श्री नैना देवी जी, झण्डूता व सदर बिलासपुर में बतौर पंचायत सचिव सरकारी धन का दुरूपयोग किया है तथा रिकॉर्ड के साथ छेडछाड की है। 2. श्रीमती अजय कुमारी तत्कालीन BDO विकास खण्ड श्री नैना देवी जी ने संजय वर्मा को पदोन्नति के समय गलत प्रमाण पत्र जारी किया है तथा श्री संजय वर्मा को बिना चार्ज दिए विकास खण्ड नगरोटा सूरियां के लिए रिलीव किया है। 3. SDM सदर बिलासपुर के द्वारा वर्ष 2015 में संजय वर्मा के खिलाफ निष्पक्ष जांच नही की है और मामला बंद कर दिया है। शिकायत पत्र की जांच के दौरान आरोप नं0 1 और 2 साबित होना पाए गए हैं लेकिन आरोप नं0 3 सही साबित होना न पाया गया है। शिकायत पत्र में संजय बर्मा के खिलाफ सरकारी धन राशि के दुरुपयोग के आरोप की जाँच के सन्दर्भ में विकास खण्ड झण्डूता,सदर व श्री नैणा देवी जी की सम्बन्धित पंचायतो से अभिलेख प्राप्त किया एवं सम्बन्धित सचिवों को शामिल जाँच करके श्री संजय बर्मा तत्कालीन पंचायत सचिव से बसूली योग्य राशियों से सम्बन्धित पूछताछ की गई । जिसमें पाया गया कि श्री संजय बर्मा से अंकेक्षण में बसूली योग्य जो राशियाँ हैं वे है आय रोकड़ में न दर्ज करने, व्यय वर्दी खरीद चौकीदार, बिना बाउचर ढुलान व्यय, बिजली बिल की दोहरी अदायगी, बिना बाउचर पंखा खरीद, क्रय समाचार पत्र-पत्रिका, बार्ड पंचो को बिना उपस्थिति मानदेय अदायगी, हीटर, टी सैट, रसीद बुकें छपवाना, तलाईयाँ, चादरें, बाल्टी, दोहरी अदायगी मानदेय व वेतन चौकीदार इत्यादि की खरीद इत्यादि से सम्बन्धित है। जाँच के दौरान प्राप्त अभिलेख के अध्ययन से पाया गया कि तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध कुल 50,70,460/- रुपये की बसूली दर्शाई गई है, जिसमें से 4947/- रुपये की बसूली हो चुकी है तथा 50,65,513/- रुपये की बसूली शेष है। यह बसूली सरकारी धनराशियों के दुरुपयोग से सम्बन्धित है। इस राशि में से मुबलिग 138784/- रुपये की राशि का संजय बर्मा द्वारा गबन करने के साक्ष्य पाये गये है। जाँच के दौरान संजय बर्मा के खिलाफ जुर्म अधीन धारा 13(1)(c)(d) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निबारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) व धारा 409,420,477A भा.द.सं. का घटित होना पाया गया है। जाँच पूर्ण होने पर अन्तिम जाँच रिपोर्ट जाँच फाईल

सहित कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रा0 स0 एवं भ्र0 रो0 ब्यूरो, मध्य क्षेत्र, मण्डी के माध्यम से मुख्य कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, शिमला भेजी गई थी जो दिनाँक 09.07.2022 को VHQ शिमला के पत्र संख्या SV&ACB(R-CR-HQ) CMSSC-121719-13518 दिनांक 29.06.2022 व Range कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 5192 दिनाँक 04.07.2022 के मुताबिक श्री संजय बर्मा के विरुद्ध जाँच की अनुमति U/S 17A PC Act के साथ थाना में प्राप्त हुई है। निदेशक ग्रामीण विकास बिभाग ने अपने कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या RDD-II-B(4)/2013-4551-55 दिनांक 20.06.2022 के मुताबिक संजय बर्मा के विरुद्ध जाँच की अनुमति U/S 17A PC Act प्रदान की है, परन्तु इसके साथ इनके कार्यालय का आदेश दिनांक 26.04.2022 थाना में दिनांक 09.07.2022 को प्राप्त नही हुआ था जो इस बारे में रेंज कार्यालय से पत्राचार किया गया था जिस पर आज दिनांक 12.07.2022 को निदेशक ग्रामीण विकास विभाग का आदेश पृष्ठांकन संख्या RDD-II-B(4)/2013-1715-1719 दिनांक 26.04.2022 दिनांक 26.04.2022 VHQ शिमला से e-mail के माध्यम से प्राप्त हुआ है। श्री संजय बर्मा के विरुद्ध FIR अधीन धारा 13(1)(c)(d) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निबारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) व धारा 409, 420, 477A भा. द.सं. दर्ज करना उचित है। अत: इस Self contained complaint के आधार पर श्री संजय बर्मा के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत करने का आदेश देने की कृपा करें। भवदीय, उप निरीक्षक यश पाल, जांच अधिकारी, रा.स.एवं भ्र.रो.व्यूरो थाना बिलासपुर।दिनाँक 12-07-2022“ थाना कार्यवाही – जो उपरोक्त आरोप व नतीजा जांच से मामला U/s 13(1)(c)(d) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निबारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) व धारा 409, 420, 477A भा.द.सं. पाया जा रहा है जिस पर अभियोग संख्या 03/2022 दिनांक 12.07.2022 U/s 13(1)(c)(d) r/w 13(2) PC Act 1988 (amended 2018) व धारा 409, 420, 477A IPC में कम्पयूटर के माध्यम से थाना पर पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना की आवश्यक कॉपियां तैयार करके डाक द्वारा व ई-मेल के माध्य से उच्च अफसरान को भेजी जा रही हैं। श्रीमान जी अभियोग प्रतिवेदित है इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही विशेष प्रतिवेदना रिपोर्ट समझा जाए।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Rama Nand **Rank (पद):** INSP. (Inspector)
No(सं.): NA **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)
Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Sanjay Kumar
Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):